क्रम-संख्या--648(ङ)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अक्टूबर, 1978

आश्विन 14, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2667/सत्रह-वि०--1-80-1978

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 29 सितम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1978)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 1 अगस्त, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

अधिनियम संख्या 5, 1908 की धारा 39 का संशोधन

2—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जायगा, यदि ऐसे वाद को, जिसमें डिक्री पारित की गयी हो, रकम या विषय वस्तु का मूल्य, डिक्री का अन्तरण करने के लिये आवेदन करने समय उसकी सामान्य अधिकारिता की धन संबंधी सीमा (यदि कोई हो) से अधिक न हो, भले ही उसे वाद पर विचारण अन्यथा अधिकारिता न हो ।"

धारा 115 का प्रतिस्थापन

3—उक्त संहिता की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"115—उच्च न्यायालय बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के मूल वादों या अन्य कार्यवाहियों से, जिनके अन्तर्गत 1 अगस्त, 1978 के पूर्व संस्थित ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियां भी हैं, उद्भूत होने वाले मामलों में, और जिला न्यायालय किसी अन्य मामले में, जिसके अन्तर्गत ऐसी तारीख के पूर्व संस्थित किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाला मामला भी है, किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा, जिसका विनिश्चय, यथास्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसकी कोई भी अपील उसमें नहीं होती, और यदि यह प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय में—

पुनरीक्षण

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो ऐसे निहित है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है;

तो, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु जिला न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मूल्य के मूल वादों या अन्य कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाले मामलों के संबंध में केवल उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान दिये गये किसी आदेश में, जिसके अन्तर्गत किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने का आदेश भी है, इस धारा के अधीन न तो फेरफार करेगा और न उसे उलटेगा, सिवाय उस आदेश के—

(i) जिसमें यदि फेरफार किया जाय या जिसे उलट दिया जाय तो वाद या अन्य कार्यवाही का अंतिम रूप से निपटारा हो जायगा; या

(ii) यदि रहने दिया जाय तो न्याय न हो पायेगा या उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, अपूर्ण क्षति होगी ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में, पद 'कोई मामला जिसका विनिश्चय किया गया' है, के अन्तर्गत वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने का आदेश भी है।"

प्रथम अनुसूची के आदेश 6 का संशोधन

4—उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश 6 में, नियम 15 में, उपनियम (1) में, शब्द "संहिता की धारा 139 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिलाये गये शपथ पर" के स्थान पर शब्द "उसके पाद भाग में" रख दिये जायेंगे ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

5—जहां ऐसे प्रकार की कार्यवाही, जिसमें जिला न्यायालय इस अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन अभिलेख मांग सकता है और आदेश पारित कर सकता है, 1 अगस्त, 1978 के ठीक पूर्व—

(क) जिला न्यायालय में विचाराधीन थी, वहां ऐसा न्यायालय उसके निस्तारण की कार्यवाही करेगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे;

(ख) उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी, वहां ऐसा न्यायालय उसके निस्तारण की कार्यवाही करेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो ।

निरसन और अपवाद

6—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उक्त संहिता के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव ।

No. 2667/XVII-V-1—80-1978

Dated Lucknow, October 6, 1978

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Civil Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 29, 1978 :

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 31 OF 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1978.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on August 1, 1978.

Amendment of section 39 of Act no. 5 of 1908.

2. In section 39 of the Code of Civil Procedure, 1908, hereinafter referred to as the said Code, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) For the purposes of this section, a Court shall be deemed to be a Court of competent jurisdiction if the amount or value of the subject-matter of the suit wherein the decree was passed does not exceed the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction at the time of making the application for the transfer of decree to it, notwithstanding that it had otherwise no jurisdiction to try the suit."

Substitution of section 115.

3. *For* section 115 of the said Code, the following section shall be *substituted*, namely :—

Revision.

"115. The High Court, in cases arising out of original suits or other proceedings of the value of twenty thousand rupees and above, including such suits or other proceedings instituted before August 1, 1978, and the District Court in any other case, including a case arising out of an original suit or other proceedings instituted before such date, may call for the record of any case which has been decided by

any court subordinate to such High Court or District Court, as the case may be, and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears—

(*a*) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law; or

(*b*) to have failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(*c*) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity;

the High Court or the District Court, as the [case may be, may make such order in the case as it thinks fit:

Provided that in respect of cases arising out of original suits or other proceedings of any valuation, decided by the District Court, the High Court alone shall be competent to make an order under this section :

Provided further that the High Court or the District Court shall not under this section, vary or reverse any order including an order deciding an issue, made in the course of a suit or other proceeding, except where,—

(i) the order, if so varied or reversed, would finally dispose of the suit or other proceeding; or

(ii) the order, if allowed to stand, would occasion a failure of justice or cause irrepairable injury to the party against whom it was made.

Explanation—In this section, the expression 'any case which has been decided' includes any order deciding an issue in the course of a suit or other proceeding."

Amendment of Order VI of the First Schedule.

4. In the First Schedule to the said Code, in Order VI, in rule 15, in sub-rule (1), *for* the words, "on oath administered by an officer empowered under section 139 of the Code," the words "at the foot" shall be *substituted*.

Transitory provision.

5. Where a proceeding of the nature in which the District Court may call for the record and pass orders under section 115 of the said Code as *substituted* by this Act was pending immediately before August 1, 1978—

(*a*) in the District Court, such Court shall proceed to dispose of the same as if the provisions of this Act were in force at all material times;

(*b*) in the High Court, such Court shall proceed to dispose of the same as if this Act had not come into force.

Repeal and savings.

6. (1) The Code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Code as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the said Code as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०वी०—ए०पी० 266 सा० (विधा०)—6-10-78—(2309)—1978—650 (मक०)